संख्या-38/2019/775/क0नि0प्र0/26-3-2019-13(61)/2013

प्रेषक,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊः दिनांकः 09 अगस्त,2019
समाज कल्याण विभाग

विषयः अनूसूचित जाति सब प्लान के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए. टू एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की स्वीकृति वर्ष 2019-20

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83- 83-में अनुदान संख्या 19-2018से उ0प्र0कौशल विकास मिशन के द्वारा अनुसूचित जाति के युवकों के लाभार्थ कौशल विकास के विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु रू0 10,00,00,000/- (रू0 दस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा आहरित कर मिशन निदेशक कौशल विकास मिशन, अलीगंज, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि केवल अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत ही नियमानुसार व्यय की जायेगी। मिशन निदेशक द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/उपभोग की सूचना यथा समय कल्याण नियोजन प्रकोश्ठ,समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन तथा प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है क्षर कीइस पर हस्ता :अत ,आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत मिशन निदेशक, कौशल विकास मिशन के माध्यम से संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.) के अन्तर्गत चयनित गांवों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिलाया जायेगा ताकि इन गांवों में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वरोजगार प्राप्त हो सके।
3. यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत धनराशि का प्रदेशन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता जिसे करने हेतु बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। अतः ऐसी स्वीकृतियां जहां आवश्यक हो व्यय करने से पहले अवश्य प्राप्त कर ली जाय। धनरशि के व्यय की कार्यवाही योजना के अनुरूप सुनिश्चित की जाय।
4. वर्तमान वित्तीय वर्ष में जितनी धनराशि की आवश्यकता वास्तविक रूप से हो, उतने का ही आहरण राजकोष से किया जाय। धनराशि आहरित करके बैंक/पी.एल.ए. में कदापि न रखी जाय।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक- "-2225अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण 789-अनुसूचित जातियों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0105 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-01-अनुसूचित जाति के युवकों के लाभार्थ विविध प्रशिक्षण योजनायें (के.100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-दस/375-1-बी/2018/1-2018/231-2018 दिनांक 30मार्च,2018 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है क्षर कीइस पर हस्ता :अत ,आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.सं. 38/2019/775 (1)/क.नि.प्र./26- 3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -

-1 महालेखाकार, लेखा प्रथमआडिट प्रथम/,उइलाहाबाद।0प्र0

-2 कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।

3- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,उ0प्र0 शासन।

4- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।

5- मिशन निदेशक,कौशल विकास मिशन,अलीगंज,लखनऊ।

6- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4,उ0प्र0शासन।

7- एन.आई.सी. की प्रति।

8- बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण,उ0प्र0शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है क्षर कीइस पर हस्ता :अत ,आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।